# न्यायालय-सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल (म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुड़ोपा)

विविध व्यवहार वाद-08ए/2014 संस्थापित दिनांक-21.11.2014 फाईलिंग नं. 233504002502014

-आवेदक<u>गण</u>

- 1. श्रीमति कृष्णाबाई पति लक्ष्मण, उम्र 56 वर्ष,
- लक्ष्मण पिता टुकड़या पंडोले, उम्र 65 वर्ष,
  दोनों जाति मेहरा, नि0 जाटाछापर, तह0 परासिया,
  जिला छिन्दवाड़ा म0प्र0।

### <u> —ः विरूद्ध ः:–</u>

- 1- पारा बेवा दसरू, उम्र 55 वर्ष, जाति गोंड,
- 2— अनिल पिता दसरू, उम्र 35 वर्ष, जाति गोंड,
- 3- सुनिल पिता दसरू, उम्र 39 वर्ष, जाति गोंड,
- 4— सुनीता जौजे अनिल, उम्र 35 वर्ष, जाति गोंड,
- 5— मुन्नी जोजे सुनिल, उम्र 29 वर्ष, जाति गोंड,
- 6— गोलन पिता दसरू, उम्र 25 वर्ष, जाति गोंड, सभी निवासी ब्राम्हणवाड़ा, तह० आमला, जिला बैतूल म०प्र०।

### \_\_\_\_<u>अनावेदकगण</u>

# —:: आदेश ::— (आज दिनांक 06.01.2017 को पारित)

- 1— आवेदकगण ने अनावेदकगण के विरूद्ध आदेश 39 नियम 2''क'' व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रकरण प्रस्तुत किया है।
- 2— आवेदकगण का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा अनावेदकगण के विरूद्ध इस आशय का व्य0वा0कं0—6अ / 14 संस्थित किया गया है कि आवेदक कं0—2 द्वारा आवेदक कं0—1 के नाम से मौजा ब्राम्हणवाड़ा, प0ह0नं0 62 रा0नि0मं0 बोरदेही, तह0 आमला, जिला बैतूल की भूमि ख0नं0 370 / 1 रकबा 4. 422 हेक्टेयर में से उत्तमराव पिता केशोराव कुन्बी, निवासी ब्राम्हणवाड़ा एवम् उसकी

बहनें ठगुबाई, देवकीबाई और सुशुबाई से उनके अंश एवम् आधिपत्य की 1.305 है0 भूमि पंजीबद्ध विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया तथा राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण कराकर पृथक ख0नं0 370/1 रकबा 1.305 है0 प्राप्त किया। आवेदकगण उक्त क्रय की गई भूमि पर क्रय दिनांक से काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे है। न्यायालय से अनावेदकगण को उक्त भूमि पर दखल देने से रोकने हेतु डिक्री पारित करने की प्रार्थना की गई, उक्त वाद के साथ वाद के निराकरण तक अनावेदकगण को विवादित भूमि पर दखल देने से रोकने हेतु एक आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत किया गया जिसका न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 30/08/2014 के माध्यम से निराकरण कर आवेदकगण को अनावेदकगण के विरुद्ध यह सहायता प्रदान की गई कि प्रकरण के निराकरण तक अनावेदकगण विवादित भूमि ख0नं0 370/1 रकबा 1.305 है0 भूमि पर न स्वयं हस्तक्षेप करें न अन्य किसी माध्यम से करावें।

आगे आवेदकगण ने अपने आवेदन में बताया है कि अनावेदक कुं0-2 3— उसकी पत्नि आवेदिका कं0-1 के निर्देशानुसार विवादित भूमि ख0नं0 370/1 रकबा 1.305 हे0 पर दिनांक 16/11/2014 को ट्रेक्टर लेकर उक्त भूमि जुताई करने हेतु गया तो अनावेदकगण द्वारा आवेदक कं0-2 को विवादित भूमि में प्रवेश करने से रोका एवं अनावेदकगण पत्थर व लाठी से आवेदक कं0-2 को मारने लगे तथा उसे जान से मारने की धमकी दी और मादर चोद, बहन चोद की गंदी-गंदी गाली दी साथ ही अनावेदकगण द्वारा कहा गया कि दोबारा इस जमीन पर कृषि करने का प्रयास किया गया तो पेट्रोल डालकर आग लगा देंगे, फिर पता लगेगा कि वह कितने खतरनाक है। आवेदक कं0-2 द्वारा ग्राम जाटाछापर जाकर आवेदिका कं0-1 से राय मशवरा कर उक्त घटना की रिपोर्ट दिनांक 16/11/2014 को पूलिस थाना बोरदेही में की गई तथा न्यायालय के समक्ष यह आवेदन प्रस्तृत किया जा रहा है। अनावेदकगण द्वारा दिनांक 16/11/2014 को विवादित भूमि में प्रवेश कर आवेदक कं0-2 को कृषि कार्य करने से रोक कर न्यायालय द्वारा व्य0वा०कं0 6अ / 14 में पारित आदेश दिनांक 30/08/2014 की जान बूझकर अवहेलना की गई है जो उक्त आदेश का खुला उल्लंघन होकर न्यायालय की अवमानना है इसलिए न्याय व्यवस्था की गरिमा बनाये रखने हेतू अनावेदकगण को विधि अनुसार सिविल जेल भेजे जाने का निवेदन किया है।

4— अनावेदकगण ने आवेदकगण के आवेदन पत्र का जवाब पेश कर आवेदकगण के समस्त अभिवचनों को अस्वीकार कर अपने जवाब में व्यक्त किया है कि आवेदकगण द्वारा वादग्रस्त भूमि ख0नं0 370/1 रकबा 4.422 हे0 में से 1.305 हे0 भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा क्रय कर उस पर भौतिक कब्जा पाया है। उक्त भूमि पर विक्रताओं का विक्रय दिनांक को स्वत्व एवं आधिपत्य नहीं था ना ही वर्तमान में है, उक्त वादग्रस्त भूमि पर इन अनावेदकगणों को बिसार पत्र दिनांक 31/01/1989 से आधिपत्य है तथा आज भी है। आवेदकगण दिनांक 16/11/2014 को वादग्रस्त भूमि पर द्वैक्टर लेकर जुताई करने नहीं दिये गये। आवेदकगण दिनांक 16/11/2014 की वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य करने गये ही नहीं तब उन्हे रोकने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार दिनांक 30/08/2014 के आदेश का अनावेदकगण द्वारा कोई अवहेलना नहीं की गई है आरोप झूठे एवं बेबुनियाद है। आवेदकगणों ने जानबूझकर असत्य आधारों पर असत्य आवेदन पत्र दिया है अनावेदकगणों ने 30/08/2014 के आदेश का उल्लंघन नहीं किया। उक्त आधारों पर आवेदकगण का आवेदन निरस्त किए जोन का निवेदन किया है।

# 5— आवेदन के निराकरण के लिए निम्न बिन्दु विचारणीय है:--

"क्या आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 का आदेश दिनांक 30/08/2014 का आदेश का अनावेकदगण द्वारा उल्लघंन किया गया है?

#### विचारणीय प्रश्न कं. 1 का निराकरण

6— आवेदक साक्षी कृष्णाबाई (अ०सा०1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आवेदकगण की उक्त क्रय की गई भूमि पर अनावेदगण को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, किन्तु फिर भी अनावेदकगण के द्वारा उक्त भूमि में अवैध रूप से प्रवेश कर दखल दिया गया इसलिए आवेदकगण द्वारा उक्त वाद में न्यायालय से अनावेदकगण को उक्त भूमि पर दखल देने से रोकने हेतु डिक्री पारित करने की प्रार्थना की गई। उक्त वाद के साथ वाद के निराकरण तक अनावेदगण को विवादित भूमि पर दखल देने से रोकने हेतु एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 का सी०पी०सी० का प्रस्तुत किया गया जिसका न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 30/08/14 के माध्यम से निराकरण कर आवेदकगण को अनावेदगण के विरुद्ध यह सहायता प्रदान की गई की प्रकरण के निराकरण तक अनावेदकगण विवादित भूमि खसरा 370/1 रकबा 1.305 हे० भूमि पर न स्वयं हस्तक्षेप करें ना अन्य किसी के माध्यम से करावें।

7— आगे इस गवाह ने अपने शपथ पत्र की साक्ष्य में यह भी बताया है कि उक्त निर्देशानुसार उसके पति विवादित भूमि खसरा नं. 370/1 रकबा 1.305 है0 पर दिनांक 16/11/14 को ट्रेक्टर लेकर उक्त भूमि जुताई करने हेतु गया तो

अनावेदकगण द्वारा उसके पित को विवादित भूमि में प्रवेश करने से रोका एवं अनावेदगण पत्थर व लाठी से उसके पित को मारने लगे तथा उसे जान से मारने की धमकी दी और मादर चोद, बहन चोद की गंदी—गंदी गालियाँ दी। साथ ही अनावेदकगण द्वारा कहा गया कि दोबारा इस जमीन पर कृषि करने का प्रयास किया गया तो पेट्रोल डाल कर आग लगा देगे, फिर पता लगेगा कि वे कितने खतरनाक है उसके पित द्वारा ग्राम जाटाझापर जाकर राय मशवरा कर घटना की रिपोर्ट दिनांक 18/11/14 को पुलिस थाना बोरदेही में की गई तथा न्यायालय के समक्ष यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

8— आगे इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 7 में व्यक्त किया है कि उसके द्वारा जमीन खरीदने से पहले अनिल वगै0 का कब्जा हो तो इसकी उसे जानकारी नहीं है। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि वह जो जमीन खरीदी है उसकी रजिस्ट्री आमला में हुई है। आगे इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि वह रजिस्ट्री से पहले कभी खेत पर नहीं गई। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि आस—पास के लोगों ने उसे यह बताया था कि उक्त जमीन पर सोयाबिन और मक्का की फसल अनिल वगैरह ने बोये है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 8 में स्वीकार किया है कि इस वर्ष बरसात में अनिल वगैरह ने सोयाबिन और मक्का की फसल बोये है। इस प्रकार इस गवाह के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि पर अनावेदकगण का कब्जा है और उनके द्वारा फसल बोई गई है।

9— आवेदक साक्षी लक्ष्मण (अ०सा००२) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आवेदकगण की उक्त क्रय की गई भूमि पर अनावेदकगण दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, किन्तु फिर भी अनावेदगण द्वारा उक्त भूमि में अवैध रूप से प्रवेश कर दखल दिया गया इसलिए आवेदकगण द्वारा उक्त वाद में न्यायालय से अनावेदकगण को उक्त भूमि पर दखल देने से रोकने हेतु डिक्री पारित करने की प्रार्थना की गई है। उक्त बाद के साथ वाद के निराकरण तक अनावेदकगण को विवादित भूमि पर दखल देने से रोकने हेतु एक आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी०पी०सी० का प्रस्तुत किया गया जिसका न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 30/08/2014 के माध्यम से निराकरण कर आवेदकगण को अनावेदकगण के विरुद्ध यह सहायता प्रदान की गई कि प्रकरण के निराकरण तक अनावेदकगण विवादित भूमि ख0नं0 370/1 रकबा 1.305 हे० भूमि पर न स्वयं हस्तक्षेप करें न अन्य किसी माध्यम से करावें।

10— आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि वह और उसकी पत्नी के निर्देशानुसार विवादित भूमि ख0नं0 370/1 रकबा 1.305 हे0 पर दिनांक

16/11/2014 को टेक्टर लेकर उक्त भूमि जुताई करने हेतु गया तो अनावेदकगण द्वारा उसे विवादित भूमि में प्रवेश करने से रोका एवम् अनावेदकगण पत्थर व लाठी से उसे मारने लगे तथा जान से मारने की धमकी दी और मादर चोद, बहन चोद की गन्दी—गन्दी गाली दी। साथ ही अनावेदकगण द्वारा कहा गया कि दोबारा इस जमीन पर कृषि करने का प्रयास किया गया तो पेट्रोल डालकर आग लगा देंगे, फिर पता लगेगा कि वह कितने खतरनाक है। उसके द्वारा ग्राम जाटाछापर जाकर उसकी पत्नी से राय मशविरा कर उक्त घटना की रिपोर्ट दिनांक 18/11/2014 को पुलिस थाना बोरदेही में की गई तथा न्यायालय के समक्ष यह आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में खंडित रही है। इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 6 में स्वीकार किया है कि उसके द्वारा जमीन खरीदी उसके पूर्व पाराबाई वगैरह का कब्जा था, किन्तु उसके द्वारा जमीन खरीदने के बाद से उसका कब्जा है। आगे यह भी स्वीकार किया है कि उन्हें वाद पत्र में यह लिखकर दिया गया है कि वर्तमान में पाराबाई का विवादित जमीन पर कब्जा है। इस प्रकार इस गवाह के मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि पर अनावेदकगण का कब्जा है।

अनावेदक साक्षी अनिल (अना०सा० ०1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उत्तम ने उक्त कब्जा बिसार चिट्ठी के माध्यम से दिया था। उक्त वादग्रस्त भूमि का वर्तमान में ख0नं0 370/1 रकबा 1.305 हे0 भूमि है। वादी कृष्णाबाई एवं लक्ष्मण उसकी उक्त वाद ग्रस्त भूमि का उत्तमराव एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों से उसका उक्त भूमि का अवैध बैनामा करा लिया है। परंतु उक्त भूमि पर उत्तमराव वगैरह का कब्जा ही नहीं था क्योंकि बैनामा दिनांक 17/07/11 के पूर्व से ही वर्ष 1989 से उसका एवं उसके परिवार वालों का कब्जा है इसलिए उक्त अवैध बैनामा के आधार पर कृष्णाबाई एवं लक्ष्मण को कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही वर्तमान में है। परंतु उक्त अवैध बैनामा के आधार पर कृष्णाबाई एवं लक्ष्मण उसके हक एवं कब्जे की जमीन पर जबरन कब्जा करने के प्रयास में है। झुठी कार्यवाही इस न्यायायल में की है। जबिक इस संबंध में माननीय अति० जिलां न्यायाधीश मुलताई के न्यायालय में विवादग्रस्त भूमि संबंधी अपील लंबित है जिसका 32अ / 16 पक्षकार पाराबाई विरूद्ध अनिल वगैरह जिसमें वादी कृष्णाबाई स्वयं पक्षकार है। जबकि इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आदेश दिनांक 30/08/14 पारित होने के उपरांत वे विवादित भूमि पर कास्त करते है। साथ ही उक्त साक्ष्य का समर्थन अनावेदक साक्षी श्यामराव (अना०सा०२) ने भी अपनी साक्ष्य से किया है।

12— इस प्रकार आवेदकगण एवं अनावेदकगण की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर आवेदकगण का कब्जा है। साथ ही प्र0पी0 1 का दस्तावेज है जो कि

आदेश दिनांक 30/08/14 के कंडिका 11 से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर आवेदकगण का आधिपत्य था जिस कारण उन्हें विवादित भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। उक्त आदेश से यह भी स्पष्ट है कि आवेदकगण के द्वारा उक्त आदेश का उल्लघंन किया गया है जिसका समर्थन प्र0पी0 2 के दस्तावेज से भी स्पष्ट है कि आवेदकगण विवादित भूमि पर कास्त करने गये तो उन्हें अनावेदकगण के द्वारा गंदी—गंदी गालियाँ देकर पेट्रोल डालकर आग लगा देने की धमकी देकर उनके वैधानिक कब्जे से बेदखल किया गया है और ऐसे कब्जे को न्यायालय की ओर से संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता है। अनावेदकगण की ओर से ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जो कि विधिक रूप से विवादित भूमि पर कब्जे में और उनका विवादित भूमि पर वैधानिक कब्जा है।

13— आवेकदगण के द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नं. 370/1 रकबा 0.1.305 है0 में उनका वैधानिक रूप से कब्जा है। इसके विपरित अनावेदकगण द्वारा अतिक्रमणधारी के रूप में बल पूर्वक विवादित भूमि पर कब्जे में बने हुये हैं, ऐसे कब्जे से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा आदेश 39 नियम 1 व 2 का आदेश दिनांक 30/08/14 का उल्लंघनं किया गया है।

14— अनावेदगण के द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमणधारी के रूप में बल पूर्वक कब्जे में बने हुये है और उनके द्वारा इस न्यायालय के द्वारा किया गया आदेश दिनांक 30/08/14 आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 का उल्लघंन किया गया है। इस प्रकार अनावेदकगण के द्वारा आदेश 39 नियम 2''क'' सी0पी0सी0 का उल्लघंन किया गया है जो कि उक्त अधिनियम अनुसार सिविल कारागार अनावेदकगण को भेजा जाना न्यायोचित दर्शित होता है, अतः आदेश 39 नियम 2''क'' सी0पी0सी0 के अनुसार अनावेदकगण को विधि अनुसार 1(एक) माह के लिए सिविल कारागार भेजा जावे, इस हेतु आवेदकगण विधि अनुसार उपजेल मुलताई में अनावेदकगण को जेल में भेजे जाने के पूर्व राशि जमा करें, तत्संबंध में सिविल कारागार अनावेदकगण को भेजा जावेगा। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 1 का निराकरण ''प्रमाणित'' रूप से किया जाता है।

15— उर्पयुक्त साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अनावेदकगण के द्वारा इस न्यायालय के द्वारा किया गया आदेश दिनांक 30/08/2014 आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 का उल्लंघन किया गया है। अतः उन्हें आदेश 39 नियम 2''क'' सी0पीसी0 के अनुसार अनावेदगण को 1(एक) माह के लिए सिविल जेल मुलताई भेजा जावेगा। इस प्रकार आदेश 39 नियम 2''क'' सी0पी0सी0 का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर कम्प्यूटर पर टंकित किया गया।

(धनकुमार कुडोपा) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 आमला जिला बैतूल म0प्र0 (धनकुमार कुडोपा) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 आमला जिला बैतूल म0प्र0